राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

16435-467

क्रमांकः एफ 09 (05)(12-III)/सासुपेंनियम/सान्याअवि/2018-19/ जयपुर दिनांक 27/3/19

जिला कलेक्टर (समस्त)

....

विषय–राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 14385 दिनांक 23.2.2019 के द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 जारी किए जाकर दिनांक 1.3.2019 से लागू किए गए है। उक्त योजना के नियम 2 के उप नियम (ii) और (iii) में लघु एवं सीमान्त कृषको से अभिप्रायः राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार माना है।

उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि लघु एवं सीमान्त कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत जारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः एफ 13 (10) खा.वि/खा.सु.अ/2013 दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप होगी।

सुलभ सन्दर्भ हेतु परिभाषा पुनः प्रस्तुत (reproduce) की जा रही है:-

क्र. स.	जिले	लघु कृषक		सीमान्त कृषक	
		सिंचित भूमि (हैक्टे.)	असिंचित भूमि (हैक्टें)	सिंचित भूमि (हैक्टे.)	असिंचित भूमि (हैक्टे.)
1	एरिड क्षेत्र– जैसलमेर एवं बाड़मेर	1.50	10.00	0.75	5.00
2	एरिड क्षेत्र– बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू एवं जोधपुर	1.50	7.00	0.75	3.50
3	सेमी एरिड क्षेत्र– झुंझुनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा	1.50	3.00	0.75	1.50
4	शेष जिलो में	1.00	2.00	0.50	1.00

अतः राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के नियम 2 के उप नियम (ii) और (iii) में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न–उक्तानुसार

भवदीय

27.3.19

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner

14468-968

क्रमांकः एफ 09 (05)(12-III)/सासुपेंनियम/सान्याअवि/2018-19/ जयपुर दिनांक 27/3/19

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग/कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2/नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
15. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
16. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
17. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी।
18. एसीपी (पेंशन)/एसीपी (कम्प्यूटर प्रशाखा) मुख्यालय।
19. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
20. आदेश पत्रावली।

27/3/19

अतिरिक्त निदेशक
पेंशन एवं पन्नाधाय

Scanned by CamScanner